न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0गोपाल रेड्डी,

प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 206-पीबीआर/17 **विरूद्ध** आदेश दिनांक 8-11-16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन **संभाग उज्जैन** प्रकरण क्रमांक 63/ 2016-17/अपील.

विनोद कुमार पिता उच्छबलाल जी टॉक
निवासी - शिवगढ़ तहसील सैलाना
जिला रतलाम ---- आवेदक

विरूद्ध

शासन द्वारा -
अनुविभागीय अधिकारी, सेलाना ---- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेई ।
अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री **अजय** चतुर्वेदी ।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 04/10/2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन **के प्रकरण** क्रमांक 63/2016-17/अपील में पारित आदेश दिनांक 08.11.2016 के **विरूद्ध** म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की **धारा-50** के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब **तहसील**दार, सैलाना द्वारा आवेदक को ग्राम शिवगढ़ स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा **नं0** 126 में से 0.050 हैक्टर भूमि का व्यवस्थापन दिनांक 9-12-91 को **किया** गया । इस व्यवस्थापन आदेश के संबंध में 25 वर्ष उपरांत ग्रामवासियों द्वारा जन-सुनवाई के

दौरान कलेक्टर, रतलाम को उक्त व्यववस्थापन आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया । कलेक्टर द्वारा उक्त शिकायत को अनुविभागीय अधिकारी को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत का निराकरण अपील की तरह करते हुए आदेश दिनांक 6-11-16 द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक से द्वेष रखने वालों ने यह जानते हुए भी कि आवेदक को 26 वर्ष पूर्व वैध रूप से भूमि सर्वे नं. 126 रकबा 0.050 हे. व्यवस्थापित की गई है, लेकिन फिर भी पूर्णतः असत्य आधार दर्शाते हुए तत्समय आवेदक नाबालिग था और भूमिहीन नहीं था। यह आधार दर्शाकर शिकायत की थी जबकि इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच नहीं की गई और जवाब का भी अवलोकन नहीं किया गया। व्यवस्थापन आदेश के समय आवेदक नाबालिग नहीं था इस संबंध में स्कूल का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया गया था और आवेदक को भूमि व्यवस्थापित की गई थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने फिर भी व्यवस्थापित आदेश को 25 वर्ष पश्चात कोई अधिकार नहीं होते हुए भी निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है।

यह तर्क दिया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित व्यपस्थापन आदेश अपीलीय आदेश था यदि कोई व्यक्ति उस आदेश से असंतुष्ट था तो उसे उक्त आदेश की अपील करना चाहिए था, जिसकी अवधि 45 दिवस है । परंतु ना तो शासन की ओर से और ना ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यवस्थापन आदेश को अपील/निगरानी के रूप में चुनौती दी गई है । अतः 25 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई शिकायत का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील की तरह करते हुए नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करना अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं ही आवेदक

को व्यवस्थापित की गई भूमि को वैध रूप से व्यवस्थापित भूमि मानकर जांच उपरांत प्रकरण क्रमांक 12-अ/2012-13 में आदेश दिनांक 3-4-13 द्वारा भूमि परिवर्तन का आदेश प्रदान किया । आवेदक ने उक्त तथ्य को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उठाया गया परंतु उक्त बिंदु पर कोई विचार न करने से उक्त आदेश निरस्ती योग्य हैं ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से विज्ञप्ति, पटवारी रिर्पोट, पंचायत रिर्पोट और संपूर्ण जांच के उपरांत पुराने कब्जे के आधार पर भूमि का व्यवस्थापन आवेदक को किया गया है। अतः शिकायत के आधार पर 25 वर्ष उपरांत व्यवस्थापन आदेश निरस्त करना अवैधानिक है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक भूमि व्यवस्थापन के आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 26-8-91 को नाबालिग नहीं था बालिग था । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में मार्कशीट भी पेश की गई थी परंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया और असत्य शिकायत के आधार पर 26 वर्ष पूर्व पारित व्यवस्थापित आदेश को निरस्त कर दिया गया जो अवैधानिक कार्यवाही होने से निरस्ती योग्य है ।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिस प्रकार की जांच आई थी उसी प्रकार की शिकायत तहसीलदार सैलाना के समक्ष भी जांच हेतु सीएम हेल्पलाईन से आई थी जिसमें तहसीलदार ने अपने जांच में दिनांक 28.04.2016 को यह निष्कर्ष प्रदान किया कि आवेदक को सही पट्टा प्रदान किया गया है और शिकायत को असत्य मानकर नस्तीबद्ध की गई। तहसीलदार के उक्त आदेश को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तहसीलदार द्वारा भी जांच उपरांत व्यवस्थापन आदेश सही माना है इस कारण श्रीमान के यहां जो शिकायत प्राप्त हुई है वह उसी अनुसार निरस्त की जावे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में उक्त बिन्दु पर विचार नहीं किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत 1998(1) एम0 पी0 वीकली नोट 26, न्यायदृष्टांत 2010(4) एम0पी0एल0जे0 (माननीय उच्च न्यायालय) (रनवीरसिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य) का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को

निरस्त करने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने आवेदक को पात्रता न होते हुए भी व्यवस्थापन किया था इसलिए अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त व्यवस्थापन को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है और ना ही कोई अवैधानिकता अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में है । उनके द्वारा आलोच्य आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में नायब तहसीलदार सैलाना द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन दिनांक 9-12-91 को किया गया है । इस आदेश के 25 वर्ष बाद शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने व्यवस्थाप आदेश को निरस्त किया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं हैं क्योंकि विचारण न्यायालय ने जो व्यवस्थापन किया है वह विधिवत जांच के पश्चात तथा ग्राम पंचायत एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत किया है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक को व्यवस्थापन में दी गई भूमि का भूमि परिवर्तन का आदेश स्वयं अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 3-4-13 को किया गया है । इसके अतिरिक्त इसी भूमि की शिकायत तहसीलदार सैलाना के समक्ष भी जांच हेतु सीएम हेल्पलाईन से आई थी जिसमें तहसीलदार ने अपने जांच में दिनांक 28.04.2016 को यह निष्कर्ष प्रदान किया कि आवेदक को सही पट्टा प्रदान किया गया है और शिकायत को असत्य मानकर नस्तीबद्ध किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त बिंदुओं को पूर्णतया अनदेखा करते हुए कलेक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई शिकायत का निराकरण अपील की तरह करते हुए व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है जो पूर्णतया अवैधानिक कार्यवाही है । अनुविभागीय अधिकारी को चाहिए था कि वे शिकायत के संबंध में विस्तृत जांच कर तथा आवेदक की ओर से उठाये गये बिंदुओं का परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजते । जहां तक

आवेदक के नाबालिग होने का प्रश्न है आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी हायर सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा वर्ष 1988 की मार्कशीट की सत्यापित प्रति पेश की गई है, जिसमें आवेदक की जन्मतिथि दिनांक 14-11-1966 अंकित है, इससे स्पष्ट है कि व्यवस्थापन दिनांक 9-12-91 को आवेदक की उम्र 25 वर्ष से अधिक होती है ।

6/ इस प्रकरण में यदि तर्क के लिए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्वमेव निगरानी में पारित आदेश पारित किया जाना भी माना जाये तब भी उक्त आदेश आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में विधिसम्मत नहीं है । न्यायदृष्टांत 1998 (1) एम0 पी0 वीकली नोट 26 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2010(4) एम0पी0एल0जे0 (माननीय उच्च न्यायालय) (रनवीरसिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की माननीय पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि -

> "भू-राजस्व संहिता म0प्र0 (1959 का 20) धारा-50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो ।"

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 25 वर्ष से अधिक समय उपरांत शिकायत के आधार पर विचारण न्यायालय के व्यवस्थापन आदेश को निरस्त करने संबंधी पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है इस कारण उनका आदेश भी निरस्ती योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा

प्र0क्र0 63/16-17/अपील में पारित आदेश दिनांक 8-11-16 एवं अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-5-16 निरस्त किये जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर